This question paper contains 16+4 printed pages]

Your Roll No.....

3466

LL.B./VI Term

R

Paper LB-601—PROFESSIONAL ETHICS, PLEADINGS, CONVEYANCING AND MOOT COURTS

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt Five questions in all, selecting at least one question from each Part.

All questions carry equal marks.

प्रत्येक भाग से कम-से-कम एक प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए! सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part A

(भाग 'अ')

Despite clear Judicial pronouncements declaring the strike by lawyers to be illegal by the Apex Court, strikes and boycott calls are resorted by the Lawyers Association throughout India and the profession has not been able to retrieve the lost social respect and as such the Judicial system is being held to ransom and the administration of law and justice is being threatened. Critically examine it with case laws if any and suggest legal remedies?

शिखर न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए स्पष्ट न्यायिक उद्घोषणाओं के बावजूद भारत भर में अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा हड़तालों और बहिष्कार आवाहनों का अवलम्ब लिया जाता है तथा यह व्यवसाय खोए हुए सामाजिक सम्मान को पुनः प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाया है। इस तरह न्यायिक प्रणाली को अपने इशारे पर नचाया जा रहा है तथा विधि और न्याय प्रशासन को धमकाया जा रहा है। निर्णय विधि, यदि कोई है, सिहत इसकी समीक्षात्मक जाँच कीजिए तथा विधिक उपचार सुझाइए।

2 (a) "A legal practitioner who is specially privileged class of person is bound to conduct in a manner befitting the high and honourable profession to whose privileges he has been admitted and if he departs from the high standards which that profession has set for itself and demands of him in professional matters, he is liable to disciplinary action."

Examine the above statement in the light of recent P.T.O.

judicial pronouncement by the Apex Court in the case of R.K. Anand Vs. Registrar, Delhi High Court. 10

(b) Enumerate the duties of an advocate to the court.

Can an advocate personally engage himself in any business?

•

(a) "एक विधि व्यवसायी, जो विशेष रूप में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का व्यक्ति है, उस उच्च तथा प्रतिष्ठित व्यवसाय के उपयुक्त रूप में आचरण करने के लिए बाध्य है जिसके विशेषाधिकार उसे सुलभ हैं। यदि वह उन उच्च मानकों से विचलन करता है जिनको उक्त व्यवसाय ने अपने लिए निर्धारित किया है तथा जिसकी वह उससे व्यावसायिक मामलों में माँग करता है तो वह अनुशासनिक कार्यवाही के दायित्वाधीन हो जाता है।"

उक्त कथन की जाँच शिखर न्यायालय द्वारा आर. के. आनन्द **खनाम** रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई हाल की न्यायिक उद्घोषणाओं को देखते हुए कीजिए।

(b) न्यायालय के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। क्या अधिवक्ता वैयक्तिक रूप से किसी कारोबार में रत हो सकता है ?

Part B

(भाग 'ब')

(a) Draft a maintenance petition u/s 125 Cr.P.C. 1973 for wife and a minor child against the husband who is a doctor by profession and working in Apollo Hospital New Delhi, Earning monthly salary of Rs. one lakh P.T.O.

while the wife has been turned out of the inatrimonial house along with the minor child who had no source of income, giving your own details of residence and facts befitting the case of criminal complaint, when the wife is residing with her parents.

- (b) H is faced with a situation that his wife W left the matrimonial house and had started living with her parents, along with a male child of two year without any reason. W, is a teacher and H, is a non-earning spouse. Draft a petition for Restitution of Conjugal Rights under the Hindu Marriage Act.
- (a) एक पति के विरुद्ध पत्नी तथा अवयस्क शिशु हेतु . दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत

P.T.O.

भरण-पोषण याचिका का डाफ्ट तैयार कीजिए। पति व्यवसाय से डॉक्टर है तथा अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में कार्यरत है। वह प्रतिमास एक लाख रुपए बतौर वेतन प्राप्त कर रहा है जबकि उसने पत्नी और अवयस्क शिशु को दाम्पत्य गृह से निष्कासित कर दिया है जिसकी आय का कोई स्रोत नहीं है। डाफ्ट में आपका अपने निवास का विवरण तथा आपराधिक शिकायत के उपयुक्त तथ्यों का उल्लेख हो जबकि पत्नी अपने माता-पिता के साथ रह रही है।

(b) H के सामने ऐसी स्थिति है कि उसकी पत्नी W ने अकारण दाम्पत्य गृह छोड़ दिया है तथा दोवर्षीय पुरुष शिशु के साथ अपने माता-पिता के साथ रहना शुरू कर दिया है। w एक अध्यापक है तथा н बेकमाने वाला पति है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु याचिका का ड्राफ्ट तैयार कीजिए।

- 4. (a) Draft a complaint under section-138 Negotiable

 Instrument Act, 1881, on assumed facts with appropriate

 relief in a proper court for dishonour of a cheque of

 Rs. one lakh (Rs. 1,00,000).
 - (b) A case has been registered against Rajiv Kumar, who is an engineer by profession, u/s-406, 498-A, 323, 504 and 506 Indian Penal Code for cruelty and threatening to life by his wife vide F.I.R. No.—25/2012 in police

station Timarpur. He has been arrested by the police on 10-2-2012 and is in jail since then. Draft an appropriate bail application on behalf of Rajiv.

- (a) एक लाख (1,00,000) रुपए के चेक के अनादरण हेतु उचित न्यायालय में समुचित अनुतोष सहित कल्पित तथ्यों पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत एक शिकायत का ड्राफ्ट तैयार कीजिए।
- (b) पुलिस स्टेशन, तीमारपुर में एफ आई आर. नं. 25/2012 द्वारा राजीव कुमार जिसका पेशा इंजीनियर है, के विरुद्ध उसकी पत्नी द्वारा क्रूरता करने और जान से मारने की धमकी देने के लिए आई पी सी. की

P.T.O.

धारा 406, 498-A, 323, 504 और 506 के अन्तर्गत एक केस रिजस्टर्ड कराया गया है। उसे पुलिस ने 10-2-2012 को गिरफ्तार कर लिया तथा वह तभी से जेल में है। राजीव की ओर से एक समुचित जमानत अर्जी का प्रारूप तैयार कीजिए।

of it is that each side may be duly alive to the questions that are about to be argued in order that they have an opportunity of bringing forward such evidence as may be appropriate to the issue." Examine this statement with the help of civil procedure code and fundamental rules of pleading. Also explain—are there any exceptions to the rules of pleading? 10

(b)

M/s ABC Ltd. having its registered office at Karkurdooma, Delhi granted loan of Rs. 5 lakh to Mahesh R/o 220-C Jasola, New Delhi. In furtherance to the loan Transaction Mahesh executed a demand promissory note in favour of M/s ABC Ltd. The term and conditions of the loan transactions were reduced in written agreement dated 22-1-2005. The loan was repayable in 24 equal monthly instalments. Mahesh paid 10 instalments in time. However, stopped making payment thereafter. M/s ABC Ltd. approached Mahesh for the payment of outstanding amount Telephonically as well as by writing letters. As Mahesh neglected to repay the loan instalments since 23-11-2005. M/s ABC P.T.O. Ltd. issued a legal notice through its counsel on 31-3-2006 thereby demanding entire outstanding amount along with interest at the rate of 18 percent per annum.

Shri X, Managing Director of M/s ABC Ltd.

approached you to file a suit for recovery of Rs. 4,16,000 as outstanding on 1st April 2006. Prepare a suit for recovery of money under order XXXVII of C.P.C.-1908.

(a) ''अभिवाक् करने की चाहे जो भी प्रणाली हो, इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पक्ष उन प्रश्नों के प्रति जिन पर बहस की जानी है इसलिए सजग रह सके कि उन्हें ऐसे साक्ष्य को सामने लाने का अवसर मिले जो विवाद्यक के लिए उचित हो सकें।'' इस कथन की समीक्षा सिविल प्रक्रिया संहिता और अभिकथन के मूल नियमों की सहायता से कीजिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि क्या अभिकथन के नियमों के कोई अपवाद हैं ?

मैसर्स ए बी सी लिमिटेड का रिजस्टर्ड कार्यालय कड़कड़डूमा, दिल्ली में है। उसने 220-C, जसौला, नई दिल्ली निवासी महेश को 5 लाख रुपए का ऋण मंजूर कर दिया। ऋण के लेन-देन को आगे बढ़ाने के लिए महेश ने मैसर्स ए बी सी लिमिटेड के पक्ष में एक माँग वचन-पत्र निष्पादित कर दिया। ऋण लेन-देन की शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लेख दिनांक 22-1-2005 के लिखित करार में किया गया था। ऋण का पुनर्भुगतान 24 समान मासिक किश्तों में किया जाना

था। महेश ने 10 किश्तों का भुगतान समय पर किया। पर उसके बाद भुगतान करना बन्द कर दिया। मैसर्स ए बी सी लिमिटेड ने टेलीफोन द्वारा तथा पत्र लिखकर महेश से बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। क्योंकि महेश ने 23-11-2005 से ऋण किश्तों के पुन: भुगतान की उपेक्षा की, मैसर्स ए बीसी लिमिटेड ने 31-3-2006 को अपने काउन्सिल द्वारा विधिक नोटिस जारी करा दिया। नोटिस में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सिंहत सम्पूर्ण बकाया राशि की माँग की गई। मैसर्स ए बी सी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक x ने । अप्रैल 2006 को बकाया होने वाले 4,16,000 रुपए की वसूली हेतु आपसे वाद फाइल करने के लिए सम्पर्क किया था। आप सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के अन्तर्गत उक्त राशि की वसूली हेतु वाद तैयार कीजिए।

Part C

(भाग 'स')

- 6. (a) Briefly discuss the essential components of a deed. 10
 - Sunil residing with him. He wants to file a case before
 a civil judge for recovery of possession and rent and
 damages against his tenants K.P. Singh but he is not
 able to attend the case personally on all the hearing
 and wants to authorize his son Sunil for this purpose.

 Prepare a suitable attorney on behalf of Mr. Batra. 10
 - (a) विलेख के आवश्यक घटकों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।

(b) मि. Y क्वीन्स टैक्सी सर्विस का स्वत्वधारी हैं वह जनवरी, 2010 मास के लिए नई दिल्ली में टैक्सी सेवा प्रदान करने के वास्ते 2 लाख रुपए का भुगतान न करने पर उ.प्र. सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना चाहता है। मि. Y ने भुगतान हेतु रेजीडेन्ट कमिश्नर, उ. प्र. भवन, नई दिल्ली से कई बार सम्पर्क किया परन्तु उसे मना कर दिया गया। मि. Y की ओर से एक नोटिस को ड्राफ्ट कीजिए।